बीकानेर नगर निगम
Nagar Nigam Road, Bikaner(Rajasthan)Fax:–0151:-2226906, Phone:–0151–2226902,0151–2226905
E-Mail Address:-nagarnigambikaner gmail.com Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक/अन्य राजस्व/2023/ दिनांक :

डेयरी बूथ हेतु नियम व शर्ते

1. आवेदक निर्धारित प्रारूप (प्रपत्र–1) में ही आवेदन पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जो दस्तावेज निम्नानुसार है:–

आवेदक का आधार कार्ड
आवेदक का राशन कार्ड/जन आधार कार्ड
आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
संबंधित वर्ग का प्रमाण–पत्र (SC/ST/विशेष योगजन)
आवेदक का मूल–निवास प्रमाण–पत्र
आवेदन शुल्क –50 रुपये/–
आवेदन करते समय निर्धारित प्रारूप में 100 रुपये/– का शपथ पत्र (नोटरी दर्ज व अनुप्रमाणित)

2. आवेदक व उसके परिवारजन का बीकानेर नगरीय क्षेत्र में पहले से कोई बूथ आवंटित नही होना चाहिए, अन्यथा व आवेदन करने हेतु योग्य नही होगा।
3. किसी भी आवेदक (परिवार) द्वारा सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में एक से अधिक आवेदन मान्य नही होंगे, एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर समस्त आवेदन स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे।
4. सम्बंधित आवंटी को आवंटन समिति द्वारा निर्धारित स्थान पर ही डेयरी बूथ का संचालनकरना होगा।
5. डेयरी बूथ का आवंटन 20 वर्ष की अवधि के लिए अस्थाई होगा।
6. सम्बंधित आवंटी को 1000/– रुपये की दो वर्ष के लिए सुरक्षा राशि के रूप मे इस कार्यालय में नकद जमा करानी होगी।
7. डेयरी बूथ का आवंटन पूर्णत अस्थाई होगा। आवंटित बूथ को भविष्य में इस कार्यालय द्वारा आवंटन समिति के निर्णय अनुसार गुणावगुण के आधार पर हटाया अथवा स्थानांतरित किया जा सकेगा।
8. डेयरी बूथ के आवंटन की प्राथमिकता निम्नानुसार होगी:–

- बेरोजगार
- भूतपूर्व सैनिक

उक्त प्राथमिकता में निम्नानुसार आरक्षण दिया जायेगारू–

- महिलाओ के लिए आरक्षण 30 प्रतिशत
- अनुसूची जाति के लिए शहर की जनसँख्या के अनुपात में
- अनुसूचित जनजाति के लिए शहर की जनसँख्या के अनुपात में
- विशेषयोग्यजन के लिए 5 प्रतिशत

आवश्यकता के दृष्टिगत शिशिलता प्रदान की जा सकेगी।

9. डेयरी बूथों पर बिक्री किये जा सकने वाली वस्तुओ का निर्धारण:–

सरस दूध व दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त पदार्थो का विक्रय नही किया जावेगा।
यदि इस कार्यालय द्वारा ब्रेड, बिस्कुट, खाद्य पदार्थ बेचने की अनुमति दी जाती है तो इनका उल्लेख आवंटन पत्र में भी किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

10. बूथ एजेंटो को दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के विक्रय से सम्बंधित दुग्ध संग के समस्त नियमो व शर्तो की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करनी होगी।
11. डेयरी बूथ का निर्धारित माप 6x6 का होगा, इससे अधिक होने पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
12. सम्बंधित आवंटी को इस कार्यालय में डेयरी बूथ का निर्धारित किराया समय पर जमा करवाना होगा, अन्यथा आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
13. **बूथ का हस्तांतरण**– साधारणतया बूथ अहस्तांतरणीय है लेकिन डेयरी बूथ आवंटी की मृत्यु होने पर ही कानूनी रूप से वारिस के नाम बूथ के स्वामित्व का हस्तांतरण इस कार्यालय द्वारा किया जा सकता है।
14. **बूथ का निरस्तीकरण**– डेयरी बूथ एजेंटो द्वारा निर्धारित नियम/शर्तो की अनुपालना नही करने पर बूथ का आवंटन सम्बंधित दुग्ध संघ की अनुशंषा पर इस कार्यालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
15. **बूथ आवंटन सम्बंधित निर्णयों पर पुनर्विचारः**– भविष्य में यदि अपरिहार्य कारणों से लोकहित में बूथ हटाना/स्थानान्तरण करना अपेक्षित हो तो यथेष्ठ कार्यवाही इस कार्यालय के स्तर पर की जायेगी, ऐसी स्थिति में बूथ एजेंट का पुनर्वास इस कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
16. आवंटन समिति द्वारा आवश्यकतानुसार स्थानों को बढ़ाया व घटाया जा सकता है।
17. आवंटन से सम्बंधित विवाद होने की दशा में विवाद का निस्तारण आवंटन समिति एवं इस कार्यालय द्वारा किया जाएगा एवं इस कार्यालयका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम

Scanned with CamScanner